न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 06 / 24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024 / 19

अनवान्

1. श्री दलपतसिंह पिता सरूपसिंह राजपूत निवासी आम्बा का कुआ जावड तह. घासा।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरूसिंह पिता ज्ञानसिंह राजपूत निवासी आम्बा का कुआ जावड तह. घासा।
2. श्रीमती चतरकुंवर पत्नी सरूपसिंह राजपूत निवासी आम्बा का कुआ जावड तह. घासा।
3. श्री प्रेमसिंह पिता सरूपसिंह राजपूत निवासी आम्बा का कुआ जावड तह. घासा।
4. श्रीमती वेबाकुंवर पत्नी मदनसिंह राजपूत निवासी आम्बा का कुआ जावड तह. घासा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. श्री गंगाराम पिता हरजी पटेल डांगी निवासी लकडवास तह. गिर्वा।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री अशोक सेन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 4
3. श्री कल्याण सिंह राव, अधिवक्ता विपक्षी सं. 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 28.11.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तह. घासा की आराजी नम्बर 4938, 4939, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989 किता 12 कुल रकबा 3.1889 हेक्टेयर उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 तक के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम 1 / 8 हिस्से से, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1 / 2 हिस्से से, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1 / 8 हिस्से से, विपक्षी संख्या 3 व 4 प्रत्येक के नाम 1 / 8 हिस्से से वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व एवं हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 तक के हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का [illegible] वर्णित अनुसार हक हिस्सा होकर उक्त कृषि भूमि का वादी संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है, उक्त कृषि भूमि का कानूनन बंटवाडा नहीं हुआ है। प्रार्थी अपने हक हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि पर कई वर्षो से निरन्तर निर्विवाद काबिज हो काश्त करता हुआ आ रहा है अर्थात् प्रार्थी का अपने हक हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि पर निरन्तर निर्विवाद आधिपत्य चला आ रहा हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि पर वादी निरन्तर निर्विवाद काबिज चला आ रहा है, प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का हिस्से अनुसार मालिक स्वामी होकर उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे उपभोग में हैं।
4. यह कि मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राईमाफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, विपक्षीगण मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग में हस्तक्षेप व बाधा उत्पन्न कर रहे है और मुझ प्रार्थी के हिस्से व कब्जे उपभोग में बाधा उत्पन्न कर मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर उतारू है व उक्त कृषि भूमि का कानूनन बंटवाडा कराए बिना किसी अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर रेकार्ड व मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर उतारू है, जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है, जिस बाबत् विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा।
5. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25.12.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना बंटवाडा कराए अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस एवं हस्तान्तरण कर रेकार्ड व मौके की स्थिति को परिवर्तित करने की धमकी दी, तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को बिना बंटवाडा कराए किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, न मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप या बाधा ही उत्पन्न करे, न मुझ प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि से ताकत के बल पर बेदखल करे, मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, न मुझ प्रार्थी का अन्य हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि से बेदखल करे, मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को अपने हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादि से ही करावे। विपक्षीगण मौके की यथास्थिति बनाए रखें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण जारी फरमाई जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से भूमि का विक्रय विपक्षी संख्या 6 को कर देने से वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं रहा। ऐसे में विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क किया गया। विपक्षी सं. 2 से 4 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सभी सहखातेदारान के मध्य मौके पर उक्त कृषि भूमियों का विभाजन किया हुआ है और सभी अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर अपने परिवारजन सहित काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है और हमने हमारी भूमि को विकसित करने में काफी लागत लगाई और परिवार सहित परिश्रम किया हैं। हम विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि के उपयोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं की गई है, न कब्जा कर बेदखल करने पर उतारू है, न ही हस्तान्तरित करना चाहते है बल्कि हम विपक्षीगण कई वर्षों से हमारे हिस्से पांती की कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और हमने अब तक हमारे हक हिस्से की भूमियों पर काफी लागत भी लगाई है और अपने कब्जे काश्त की भूमियों को विकसित किया है और अलग–अलग बाडे बना रखे है और अधिकार सहित हम हमारी भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि का मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सानुसार भूमि का सभी सहखातेदारान के मध्य विधिक रूप से बंटवाडा कर दिया जाता है तो हम विपक्षीगण को कोई एतराज नहीं है तथा हम विपक्षीगण की ओर से हमारे हक हिस्से की कृषि भूमि का हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन कराने हेतु न्यायालय आपमें काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं।

8. यह कि प्रार्थी का न तो प्राईमाफैसी केस है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर बंटवाडा हो रखा है तथा उसी पांती बंटवाडे के अनुसार सभी सहखातेदार अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और हम विपक्षीगण भी हमारे हिस्से कब्जे की भूमियों पर अपने परिवारजन सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और हमने अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर लाखों रूपयों का खर्चा कर एवं परिवार सहित परिश्रम कर उपजाऊ बनाकर आवादान की है लेकिन प्रार्थी की नियत में लोभ लालच की भावना जागृत हो गई और वह हमारे हिस्से [illegible] जमीन को हथियाना चाह रहा है इसी नियत से इस तरह के झूठे व [illegible] कर यह मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

किसी ने नहीं रोका है और न ही कोई दखलन्दाजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में की गई है बल्कि प्रार्थी स्वयं नाजायज तरीके से इस मुकदमे की आड लेकर हमारे हिस्से कब्जे की जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है और हमे हमारी भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने दे रहा है और निरन्तर व्यवधान पैदा कर रहा है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। हम विपक्षीगण भी अपनी भूमि के खातेदार काश्तकार है और हमें हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग करने से रोकने का प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है और कानूनन भी किसी सहखातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी एवं इसके परिवार के लोग हमारे हिस्से पांती की जमीन पर अनाधिकार रूप से दखलन्दाजी कर हमारे कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे है और नाजायज तरीके से हमारी जमीन को हथियाने पर उतारू है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में हम विपक्षीगण प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थी हमारे हिस्से कब्जे की भूमि में हमें काश्त करने एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं हमे व हमारे परिवारजन को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए हमारी ओर से काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

9. यह कि प्रार्थी को हमारे खिलाफ दिनांक 25.12.2023 या अन्य किसी दिन कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने मात्र हमारे खिलाफ मिथ्या मुकदमा करने की नियत से मगढन्त प्रार्थना पत्र कारण दर्शाया है और यह मिथ्या मुकदमा हमारे खिलाफ कर दिया हैं।

10. यह कि प्रार्थी हमारे खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जावड पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 4938, 4939, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989 किता 12 कुल रकबा 3.1889 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो हम विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/8 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 3, 4 प्रत्येक के नाम 1/8 हक हिस्सेनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है और हम विपक्षीगण अपने हक हिस्से अनुसार जमीन पर वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमने काफी खर्चा कर एवं मेहनत मजदूरी कर अपनी भूमियों को उपजाऊ बनाकर आप्रार्थनान योग्य की है लेकिन उक्त कृषि भूमियां वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने से हम विपक्षीगण को अपने हिस्सा भूमि का अधिकतम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

विकास करने हेतु बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने एवं भूमि का विकास करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए हम विपक्षीगण उक्त कृषि भूमि में अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से का मौके पर कब्जे के आधार पर विधिक रूप से विभाजन कराने के अधिकारी है इसलिए हम विपक्षीगण की ओर से न्यायालय आपमें यह काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं।

12. यह कि हम विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का मौके पर कई वर्षो पूर्व ही बंटवाडा किया हुआ है तथा हम विपक्षी वर्षो से अपने परिवारजन सहित अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा हमने हमारे हिस्से कब्जे की जमीन को भी काफी खर्चा कर एवं परिवार सहित मेहनत मजदूरी कर आवादान कर विकसित की है जिससे प्रार्थी की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और हमारे हिस्से कब्जे की भूमि को जबरन हथियाने की नियत से प्रार्थी आये दिन हम विपक्षीगण से लडाई झगडा करता है और हमे हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहा है और निरन्तर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है और हमारी जमीन पर अनाधिकार रूप से कब्जा करना चाह रहा है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम विपक्षीगण प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थी हम विपक्षीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, विपक्षीगण के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन के मार्फत ही करावें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से विपक्षीगण को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी विपक्षीगण के पक्ष में हैं।

13. यह कि हम विपक्षी संख्या 2 से 4 को प्रार्थी के विरूद्व काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

14. अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षी संख्या 2 से 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 2 से 4 के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी हम विपक्षी संख्या 2 से 4 को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, हम विपक्षीगण के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

रहन बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

15. **विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश** कर निवेदन किया कि श्रीमान् न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है जिसके मुकदमा नम्बर 06/24 होकर अनवान दलपतसिंह बनाम भेरूसिंह व अन्य है जिसका गंगाराम पटेल को नोटिस प्राप्त हुआ है लेकिन उक्त नोटिस के साथ जो प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उसमें गंगाराम पिता हरजी पटेल निवासी लकडवास पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है लेकिन श्रीमान न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ है एवं प्रार्थना पत्र में जिस आराजी का अंकन किया गया है उक्त आराजीयात का संबंध गंगाराम पिता हरजी पटेल से होने एवं उक्त आराजीयात में गंगाराम का 1/2 हक व हिस्सा होने से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे रेकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं उक्त प्रार्थना पत्र में गंगाराम पिता हरजी पटेल को विपक्षी की हैसियत से पक्षकार मुकदमा बनाया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। उक्त जवाब के साथ जमाबन्दी एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति भी संलग्न की गई हैं। वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 भेरूसिंह पिता ज्ञानसिंह, निवासी जावड तह. घासा जिला उदयपुर से गंगाराम पिता हरजी पटेल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.01.2024 को विपक्षी संख्या 1 से सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा क्रय किया गया था तथा मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा राजस्व रेकार्ड में भी गंगाराम पिता हरजी डांगी निवासी लकडवास का 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से नाम दर्ज है तथा मौके पर गंगाराम पिता हरजी पटेल द्वारा उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से पर तारबन्दी एवं बाडबन्दी कर रखी है तथा एक ट्यूबवेल भी लगा रखी है जिस पर गंगाराम द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा काबिज काश्त है।

16. यह कि कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में गंगाराम पिता हरजी पटेल के नाम पर 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज है प्रार्थना पत्र द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है लेकिन विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से की कृषि भूमि को गंगाराम पिता हरजी पटेल को विक्रय कर दिया है तथा क्रय दिनांक से गंगाराम पिता हरजी पटेल उक्त आराजीयात में से 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होकर कृषि कार्य कर रहा है तथा मौके पर काबिज हैं। शेष विपक्षीगण का हिस्सा प्राथी दस्तावेज से साबित करें। उक्त भूमि का कानूनन बंटवाडा नहीं हुआ है लेकिन मौके पर मौखिक बंटवाडे के अनुसार गंगाराम पिता हरजी पटेल अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है तथा मौके पर तारबन्दी एवं बाडबन्दी करा रखी है एवं ट्यूबवेल भी लगा रखी है जिस प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य हिस्से अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा किया जाता है तो गंगाराम पटेल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थी गंगाराम पटेल के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

17. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 भेरूसिंह पिता ज्ञानसिंह द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा गंगाराम पटेल को विक्रय कर दिया गया तब से गंगाराम पटेल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर भी 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा किया जाता है तो गंगाराम पटेल को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थी विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

18. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर गंगाराम पटेल काबिल काश्त है तथा राजस्व रेकार्ड में भी गंगाराम पटेल का 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं उक्त हिस्से एवं कब्जे के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा किया जाता है और राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अलग दर्ज किया जाता है तो गंगाराम को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रार्थी गंगाराम के विरूद्व एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना ही प्रार्थी का प्राईमाफैसी केस है, न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, ना ही अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है, प्रार्थी एवं गंगाराम एवं अन्य सहखातेदार है लेकिन उक्त भूमि का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जाता है तो गंगाराम पटेल को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी विपक्षी के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

19. यह कि प्रार्थी को गंगाराम पटेल के विरूद्व किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं।

20. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गंगाराम पटेल के विरूद्व खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वह गंगाराम पटेल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखलन्दाजी नहीं करे, न ही उपयोग उपभोग में बाधा पहूंचावे, न उक्त कार्य स्वयं करे, न उक्त कार्य किसी अन्य से करावें।

21. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। दौराने बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किया कि वाद पत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई हैं। अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना तक निर्माण नहीं करने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं हैं।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम जावड पटवार हल्का [illegible] तह. घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 443 पर दर्ज आराजी नम्बर 4938, 4939, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989 किता 12 कुल रकबा 3.1889 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 से 4, 6 के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4, 6 सहखातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें प्रारम्भिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना तक वादग्रस्त भूमि का मौके पर स्वरूप नहीं बदले इसलिए उभय पक्षकारान को निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उभय पक्षकारान को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं होगी तथा ना ही वाद की बाहुलयता बढेगी। मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है तो इसके लिए उभय पक्षकारान के अधिवक्ता सहमत भी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी सं. 2 से 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4, 6 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तह. घासा के खाता संख्या 443 पर दर्ज आराजी नम्बर 4938, 4939, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989 किता 12 कुल रकबा 3.1889 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested